

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञाप संख्या-4/स्थाविधि(आवंटन)-31/2012-

(4)/रा0 पटना-15, दिनांक-

सेवा में,

महालेखाकार,
वीरचन्द पटेल पथ,
पटना।

विषय-

संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों (लिपिक, राजस्व कर्मचारी, अमीन, अंचल निरीक्षक, आशुलिपिक, प्रारूपक, जंजीरवाहक-सह-आदेशपाल, प्रोसेस पिऊन, चालक तथा भूमि सुधार उप समाहर्ता के कार्यालय में संविदा के आधार पर नियोजित कार्यपालक सहायक) के पारिश्रमिक के भुगतान हेतु मुख्य शीर्ष 2029 के तहत 2801 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ मद में कुल 3,92,17,845.00 (तीन करोड़, बानवे लाख, सत्तरह हजार, आठ सौ, पैतालीस रू0) मात्र व्यय की स्वीकृति।

आदेश :- स्वीकृत।

- राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2014-15 में मुख्य शीर्ष-2029-भू-राजस्व-104-सरकारी सम्पदाओं का प्रबन्ध-0001-राजस्व प्रशासन पर व्यय 2801 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ, माँग संख्या-40, विपत्र कोड-एन 2029001040001 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।
- राज्य के जिलों में संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों (लिपिक, राजस्व कर्मचारी, अमीन, अंचल निरीक्षक, आशुलिपिक, प्रारूपक, जंजीरवाहक-सह-आदेशपाल, प्रोसेस पिऊन, चालक तथा भूमि सुधार उप समाहर्ता के कार्यालय में संविदा के आधार पर नियोजित कार्यपालक सहायक) के मानदेय भुगतान हेतु जिलों से प्राप्त माँग-पत्र के आधार पर संलग्न विवरणी के अनुसार राशि की स्वीकृति दी जाती है। आवंटन आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।
- इसमें आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बन्धित जिला के समाहर्ता होंगे तथा राशि की निकासी सम्बन्धित जिले के कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी।
- राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561वि0(2), दिनांक-17.04.1998 के आलोक में की जायेगी।
- उक्त स्वीकृत राशि के व्यय के क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-8025 दिनांक-21.05.2013 में निहित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. स्वीकृत राशि से संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों (लिपिक, राजस्व कर्मचारी, अमीन, अंचल निरीक्षक, आशुलिपिक, प्रारूपक, जंजीरवाहक-सह-आदेशपाल, प्रोसेस पिऊन, चालक तथा भूमि सुधार उप समाहर्ता के कार्यालय में संविदा के आधार पर नियोजित कार्यपालक सहायक) के पारिश्रमिक का ही भुगतान किया जायेगा। इस राशि के व्यय के पश्चात् उपयोगिता प्रमाण-पत्र/व्यय विवरणी निश्चित रूप से अगले माह की 7वीं तारीख तक विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

9. राशि का विचलन किसी भी स्थिति में नहीं किया जायेगा।

अनु०-यथोक्त।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-
(व्यास जी),
प्रधान सचिव।

फैक्स
3-मैल

ज्ञापांक :-

145

(4)/रा०. पटना-15. दिनांक-11-03-15

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/सभी सम्बन्धित कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी/सभी सम्बन्धित समाहर्ता/विभागीय प्रशाखा-5 (बजट) शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

व्यास जी
(व्यास जी),
प्रधान सचिव।

24

0	जिला का नाम	स्वीकृत राशि	अभ्युक्ति
1	3	4	5
1	नालंदा	8000000	2449 / 15.10.2014 तथा 1726 / 22.12.2014
2	पटना	2117671	100 / 13.02.2015 तथा 3236 / 17.11.2014
3	बक्सर	2253339	03-0640 / 20.02.2015 तथा 01-0101 / 21.01.2015
4	सुपौल	393968	903-2 / 26.02.2015
5	मधुबनी	1000000	332 / 25.02.2015 तथा 279 / 12.08.2014
6	गोपालगंज	2170000	1139 / 14.10.2014
7	बेगूसराय	1500000	1505 / 11.09.2014 तथा 1880 / 29.12.2014
8	गया	1000000	338 / 31.10.2014
9	बाका	428209	1315 / 25.10.2014
10	सीतामढ़ी	1000000	1726 / 29.12.2014
11	भागलपुर	823500	224 / 22.01.2015
12	समस्तीपुर	1000000	250 / 26.07.2014 तथा 55 / 11.02.2015
13	सहरसा	648590	160 / 04.02.2015
14	पूर्णिया	1000000	90 / 10.01.2015
15	मुंगेर	630960	1276 / 09.12.2014
16	जमुई	409500	731 / 06.11.2014
17	दरभंगा	1000000	266 / 01.12.2014 तथा 273 / 28.12.2012
18	नवादा	546000	330 / 05.07.2014
19	वैशाली	158172	94 / 25.01.2014
20	पू० चम्पारण	2663652	02 / 05.01.2015
21	किशनगंज	290344	91 / 20.01.2015
22	कैमूर	933000	2111 / 25.11.2014
23	जहानाबाद	1000000	170 / 07.02.2015 तथा 1444 / 17.08.2014
24	मधेपुरा	1000000	765-2 / 28.08.2014
25	आरा	1088897	15 / 06.01.2015
26	अररिया	1000000	1299 / 09.08.2014
27	शेखपुरा	611266	311 / 30.07.2014
28	लखीसराय	143000	1091 / 17.07.2014
29	औरंगाबाद	200000	158 / 30.09.2014
30	प० चम्पारण	2500000	60 / 14.03.2014
31	सिवान	1585000	981 / 10.07.2013
32	मुजफ्फरपुर	122777	565 / 09.02.2015
	कुल-	39217845 (तीन करोड़ बानवे लाख, सत्तरह हजार, आठ सौ पैतालीस रु०)	

3